

Title: Regarding alleged misuse of Investigative Agencies against political opponents.

12.45 hrs

The Lok Sabha re-assembled at forty-five minutes

past Twelve of the Clock.

(Mr. Speaker in the Chair)

REGARDING ALLEGED MISUSE OF INVESTIGATIVE AGENCIES AGAINST POLITICAL OPPONENTS

MR. SPEAKER: Hon. Members, I will give opportunity to everybody. I will also request hon. Members and leaders to make their submissions as brief as possible so that all Members can get a chance. After all, today is the last day of this Session. Prof. Vijay Kumar Malhotra.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): Mr. Speaker, Sir, I have given a notice to raise a matter regarding the misuse of investigative agencies against political opponents and unwarranted political interference by the Central Government.

मैंने इस विषय पर आपसे अनुमति मांगी थी। आपने मुझे इस बात की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब से यह सरकार बनी है, सात महीने में सीबीआई, डीआरआई और फेमा आदि जितनी इन्वैस्टीगेटिव एजेंसीज़ हैं, चाहे वे सीबीआई से ताल्लुक रखती हैं या किसी और से, उन सारी एजेंसियों को स्वायत्तता प्राप्त है। (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि उनके अंदर कोई इंटरफियरेंस नहीं हो सकती। परन्तु दुर्भाग्य से सरकार ने उन सबका मिस्यूज़ किया और ऑपॉनेंट्स के खिलाफ क्लेसज़ करने और अपने लोगों के खिलाफ क्लेसज़ न करने के बारे में तय किया। एक केन्द्रीय मंत्री जो पेट्रोल पम्प के मामले में फ़से हुए थे, उनके बारे में तय किया कि उसकी परमीशन नहीं देंगे, सीबीआई उसे आगे न ले जाए। बोफोर्स कांड को बंद करने की बात की गई। इसके अलावा और बीसियों क्लेसज़ हैं जिनमें केन्द्र सरकार के जो मंत्री शामिल थे, उनके खिलाफ क्लेसज़ विदड्रा किए गए। केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ भी क्लेसज़ विदड्रा हुए। इतना तब हुई जब प्रधान मंत्री कार्यालय से एक पत्र ज्वाइंट सैक्रेटरी की तरफ से ... (व्यवधान) ... * सैक्रेटरी (पर्सनल) के नाम से भेजा गया। (व्यवधान)

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: The names will be deleted.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उनकी तरफ से कार्मिक मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया। उसमें तीन बातें प्रमुख रूप से कही गई - यह कहा गया कि क्या सीबीआई रिवीजन पीटीशन कर सकती है, इसे देखकर बताया जाए? दूसरी बात कही गई कि सीबीआई ने क्लेसज़ क्यों नहीं फाइल किए, इसके बारे में भी जांच की जाए और पता किया जाए। तीसरी सबसे खतरनाक बात यह थी कि दो ग्वाहों ने जो रिवीजन पीटीशन डाली है, उस रिवीजन पीटीशन को भी ऐग्जामिन किया जाए कि उसे ऐक्सपीडाइट किया जा सकता है या नहीं? प्रधान मंत्री कार्यालय से यह कहा गया कि I have been asked by - asked by whom? ज्वाइंट सैक्रेटरी को किसके द्वारा कहा गया कि आप ऐसा करें। उनके ऊपर प्रधान मंत्री के सिवाए और कोई नहीं है। यूपीए का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रधान मंत्री ने अगर उनसे कहा कि आप इसे ऐक्सपीडाइट करें। लीडर ऑफ ऑपोजीशन, जिसे न्यायालय ने फ़सला दिया, न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित करते हुए, सीबीआई का मिस्यूज़ करते हुए इस प्रकार की जो बात कही गई, यह संविधान के अत्यन्त खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है और प्रधान मंत्री कार्यालय का, उनकी पावर का मिस्यूज़ है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please be patient. Let me regulate. Let us have some discussion.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Malhotraji, please conclude.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ऐसा कोई और नहीं कर सकता। परन्तु अगर प्रधान मंत्री ऐसा करेंगे तो बाकी मंत्री भी करेंगे। यह कार्य लगातार विपक्षियों को दबाने के लिए, उनके खिलाफ गलत क्लेस बनाने के लिए, सीबीआई का दुरुपयोग करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय से हुआ। (व्यवधान) हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रधान मंत्री जी ने ऐसा किया? उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का उल्लंघन किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपको भी बुलाएंगे। जिन सदस्यों को बोलने का मौका देना है, उन्हें जरूर देंगे।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हम चाहेंगे कि इस मामले में प्रधान मंत्री इस्तीफा दें। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Braja Kishore Tripathi to associate with this matter.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Mr. Speaker, Sir, we oppose the undemocratic action of the Government. The Government should not interfere in the independent functioning of the CBI. ... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप अपने सदस्यों को समझा दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है ? उन्होंने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Braja Kishore Tripathy has associated with Prof. Malhotra's observation.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप स्ब बोलना चाहते हैं ? आप क्या कर रहे हैं ?

...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा मामला है। **â€**(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब दूसरा मामला आयेगा तब आप बोलिये। अभी आप क्यों बोल रहे हैं ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please sit down. Nothing will be recorded, except Shri Prabhunath Singh's submission.

(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Prof. Malhotra, please help us. जो बात हुई थी, उसी तरह से मैं चल रहा हूँ।

...(व्यवधान)

*Not Recorded.

श्री प्रमुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, सीबीआई का नाम सुनकर देश के लोगों की एक आस्था बनती थी लेकिन इधर कुछ दिनों से लगता है कि सीबीआई सत्ता पक्ष के हाथ का खिलौना हो चुकी है। **â€**(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nobody can continuously interrupt. All are elected Members of this House. People have expressed their confidence in you.

श्री प्रमुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीबीआई सरकार के हाथ का खिलौना हो चुकी है। अभी जिस पत्र की चर्चा माननीय मल्होत्रा जी ने की, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार उन पर दबाव बना रही है कि श्री लाल कृण आडवाणी के विरुद्ध कार्रवाई की जाये। इसका मतलब साफ है और यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी यह चर्चा कई बार मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आ चुकी है। **â€**(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Are you bound by his observation? Why do you feel that you are bound by his observation?

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: You can rebut it at your time. How can both of you speak together?

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: That applies to both sides, Madam

...(Interruptions)

श्री प्रमुनाथ सिंह : इससे पहले भी यह चर्चा समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से आ चुकी है। **â€**(व्यवधान) बिहार का जो चारा घोटाला है, उसको भी सीबीआई गलत ढंग से पेश कर रही है। सदन में सभी नेता मौजूद हैं। **â€**(व्यवधान) हम आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस ढंग से सीबीआई पर दबाव बनाकर विपक्षी नेताओं को परेशान करने की जो कार्रवाई प्रधान मंत्री कार्यालय से चल रही है, उनके पदाधिकारी ने जो पत्र लिखा है **â€**(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है ? **â€**(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing else will be recorded.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Please listen to the Leader of the House. It has been all decided.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Speaker Sir, Prof. Malhotra and some other hon. Members of this House have raised an issue in regard to a letter issued from the Prime Minister's Office in respect of certain matters investigated and which are also under the scrutiny of the court.

I would like to clarify the position. The letter sent from the Prime Minister's Office to the Secretary, Department of Personnel and Training is in the context of a revision petition in the High Court against the discharge of Shri L.K. Advani filed by two witnesses. It may be noted that the reference from the Prime Minister's Office only requested clarification on the legal position about filing a revision petition and ...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: You cannot go on interrupting like this.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I am making it very carefully and I would respectfully submit. Kindly listen to me.

It may be noted that the reference from the Prime Minister's Office only requested clarification on the legal position about filing a revision petition and failure, if any, on the part of the prosecuting agency in taking timely action to move a higher court. The sum total of this correspondence is nothing more than eliciting information from the prosecuting/investigating agency. It is not a directive of any kind to any investigating agency and cannot be construed to amount to any manner of interfering in the working of the agency.

*Not Recorded.

To seek legal opinion on any issue is a legitimate, official communication and falls within the purview of due process within the Governmental machinery. It would, therefore, be wrong to impute any political motive to the routine correspondence. It may also be stated that no instructions and directions were issued to CBI in this matter. In all such matters, this Government will respect the autonomy of investigating agency and following the dictates of the law and judicial decisions. In no way we have interfered. But, this is the legitimate right of a Government to ascertain the position of a case, and no impropriety has been indulged in in issuing this letter....*(Interruptions)* So far as – what Shri Malhotra has raised – "directed by whom" is concerned, this is the normal practice of drafting in any official communication. Every Government order issued, you will find: "He is directed". Therefore, no impropriety has been indulged in it, and nothing has been done to interfere with the due process of law and normal functioning of the Government.

MR. SPEAKER: Mr. Vajpayee wants to say something. Would you like to add something?

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : सबको मौका देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह पत्र जिसका उल्लेख किया जा रहा है, वह बड़ा विचित्र पत्र है। इस तरह का पत्र नहीं लिखा जाना चाहिए। आप कहेंगे और आपके लिए कहना स्वाभाविक है कि हम कोई दबाव डालना नहीं चाहते हैं मगर यह दबाव डालने के अलावा और क्या है? (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please be quiet. Let us listen to each other. Just now, I was told that there should be patience. You said it correctly. On both sides, there should be patience.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं पत्र को पूरा पढ़ूं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूरा पढ़ दिया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पूरा नहीं पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कमेंट्स करने हैं, वह कर दीजिए।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I quote from the letter :

"In this regard I have been asked to request that the Ministry of Law and Justice may kindly be

consulted (a) to examine if there is any legal provisions and grounds for CBI...there is any negligence on the part of any investigating, prosecuting machinery, agency in filing a revision petition."

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: You should have respect for each other also.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: You have developed a very bad habit.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस पत्र में आखिर में यह भी लिखा है कि इस रिक्विजन पेटिशन को एक्सपेडाइट किया जाए। यह किसके लिए कहा गया है ? कौन एक्सपेडाइट करेगा ? क्या यह कहने का तरीका नहीं है कि इसमें देरी लग रही है, इस मामले को लटक्या जा रहा है। इस मामले को जल्दी से हाथ में लीजिए। जरा माफ कीजिएगा, सरकार अभी नई है, इस तरह के पत्र लिखे जाने आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे पत्र लिखना बंद कर दीजिए। इनका दुरुपयोग हो सकता है और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए इस तरह के पत्रों का आदान-प्रदान नहीं होना चाहिए।

MR. SPEAKER: Let us conduct in a manner that everybody gets an opportunity.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I would not have responded but for, with my due respect and reverence to the former Prime Minister and the senior-most Parliamentarian of this country, most respectfully, I would like to submit that if hon. Vajpayee ji would have gone through the whole text of the letter, he would have known that it is not the initiative of the Government. Two witnesses have filed their writ petitions. The Government have not filed. Therefore, two witnesses have filed writ petitions, the Prime Minister's Office wanted to ascertain the legal position.

13.00 hrs.

And for that legal position, ...(Interruptions) Please allow me to complete. I have not yet completed. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: They have listened to Shri Vajpayee fully. Please show minimum courtesy to him.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, on a similar occasion, when an allegation was brought in by Shri P.R. Dasmunsi and many others, the then Prime Minister wanted to ascertain the fact in order to inform the House. In this matter, the information has been sought from the Legal Department as to what is the legal position. Except the Law Ministry, who else can give the legal interpretation? Therefore, if the Ministry of Personnel has been advised to consult the Law Ministry, what is wrong in it?

The second point, which I would like to submit most respectfully, is that if we start sharing the correspondences between the two Departments from the Prime Minister's Office to other Office, there will be no end to it, and no Government can function. Most respectfully I will like to remind Shri Atal Bihari Vajpayee that in 1977, the correspondences between the then Prime Minister, Shri Morarji Desai, and the then Deputy Prime Minister, Shri Charan Singh, were never allowed to be debated and discussed on the floor of the House.

Therefore, this is an internal matter. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please listen to each other.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Therefore, to raise this issue by the former Prime Minister, most respectfully I would like to submit, is not fair. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have allowed you to discuss it. We have discussed it.

यह ठीक नहीं है। हरिन भाई आप बैठिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सी.बी.आई. का मिस्यूज हो रहा है और यह लिखा है कि रिक्विजन पीटिशन एक्सपीडाइट हो। हम इसके खिलाफ स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट करते हैं और इसके खिलाफ वाक आऊट करते हैं।

13.01 hrs.

(Prof. Vijay Kumar Malhotra and some other hon.)

Member then left the House)

MR. SPEAKER: Silence please. Now, Md. Salim.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: That will be deleted.

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : हम लोगों को भी मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो सदस्यों को एक साथ मौका नहीं दे सकता। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। **â€!** (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Kunwar Manvendra Singh, I will have to take action against you. I warn you. It has become your habit. You are a respected and a senior Member. You have been our colleague. This is not the way to behave. Show some respect to the Chair.

Md. Salim, please be very brief.

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हम पूर्व प्रधान मंत्री वाजपेयी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कृपा करके इस मुद्दे को यहां उठाया। 12 साल से इस मामले को लेकर देश को समाज और राजनीति में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये लोग सदन को चलने नहीं देते। अब ऐसा लग रहा है कि हमारा विरोध पक्ष सरकार को भी फंक्शन नहीं करने देना चाहता। जिस वजह से सरकार अगर यह कहती है कि इस मामले में कानूनी प्रावधान क्या हैं, यह लॉ डिपार्टमेंट से मालूम किया जाए। क्या यह सही होगा कि अब भी पूर्व प्रधान मंत्री की तरह नागपुर से मालूम किया जाए कि आड़वाणी वाले मामले में क्या किया जाएगा ? कानूनी तरीके से, सही तरीके से इस मामले में आड़वाणी जी अगर बरी होते हैं, तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि सी.बी.आई. पर राजनीतिक कारणों से दबाव डाला जा रहा है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो यहां रिवीजन पीटिशन एक्स्पीडाइट वाली बात कही गई है, उस आधार पर कानूनी सलाह लेकर बंदोबस्त किया जाए और किसी को ऐसे ही बरी नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो।

*Not Recorded.

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : हमें ताज्जुब है इस बात का कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण ये हाउस में आकर एक बात को उठाएंगे और कह देंगे कि वाकआउट कर दिया **â€!** (व्यवधान) इनके लीडर बैठें रहें और बाकी चले जाएं **â€!** (व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, he cannot comment on our walk-out. It is none of his business to make a comment on our walk-out. ...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Now, Shri Devendra Prasad Yadav.

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने तो अभी बोलना शुरू ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ 15 सेकंड ही बोला हूं। **â€!** (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गई। Your leader has already said.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Well, we had agreed to this arrangement.

...(Interruptions)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा है और अलाऊ किया है। इस तरह से नहीं चलेगा। **â€!** (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : : अध्यक्ष जी, मुझे भी कुछ कहना है। **â€!** (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी देवेन्द्र प्रसाद जी बोल रहे हैं, आपको मैं बाद में मौका दूंगा।